छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | त्रयोदश सत्र | अंक-05

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022

(फाल्गुन 20, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 33 तारांकित एवं 61 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत की ।

(तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भ गृह में आये ।)

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं 23

के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21,

पटल पर रखा ।

3. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

मानननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, नारायण चन्देल, शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह एवं श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें । निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे ।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.02 बजे स्थगित की जाकर 12.16 बजे समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

4. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय उपाध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

5. पृच्छा

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल सदस्य ने संसदीय सचिवों के फोटो प्रशासकीय प्रतिवेदन में छपे होने एवं सदन में उनकी स्थिति पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया ।

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि सदन में संसदीय सचिवों के दायित्वों के संबंध में व्यवस्था दी गई है । माननीय विधि मंत्री जी के द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है । अत: मैं व्यवस्था के प्रश्न को अमान्य करता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने विशेषाधिकार भंग की सूचना का उल्लेख किया ।

माननीय उपाध्यक्ष ने कथन किया कि आपकी सूचना विचाराधीन है ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नारायण चंदेल, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले में स्थापित मध्य भारत पेपर मिल द्वारा शासन से लीज पर ली गई भूमि का विक्रय किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने राजस्व मंत्री को निर्देश दिये कि किसका कितना बकाया है और किस तरह से दिया जा सकता है, यह कार्य होने तक किसी प्रकार की सम्पत्ति का सौदा न हो । आप मंगलवार को लिखित उत्तर दे दीजिये, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा ।

(2) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने लोक निर्माण विभाग राजनांदगांव एवं खैरागढ़ संभाग द्वारा श्रम विभाग के निर्देशों का पालन नहीं होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

(2) श्री धरमलाल कौशिक

(3) श्री संतराम नेताम

(4) श्री सौरभ सिंह

(5) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि सदन की सहमति से आय-व्यय पर सामान्य चर्चा पूर्ण होने के बाद अशासकीय कार्य लिया जायेगा ।

8. वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण

श्री गुलाब कमरो, सदस्य ने पुनर्ग्रहित चर्चा प्रारंभ की।

आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के दौरान श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने आसंदी से आग्रह किया कि सामान्य बजट की चर्चा में सभी मंत्री एवं अधिकारी दीर्घा में सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहें ।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बैठे-बैठे बोलने की अनुमति दी तथा निर्देशित किया कि आप संबंधित मंत्रियों के अलावा अधिकारियों को भी दीर्घा में उपस्थिति हेतु निर्देशित कर दीजिये ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विनय कुमार भगत, रजनीश कुमार सिंह, डॉ.विनय जायसवाल, डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री बृहस्पत सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, प्रकाश शक्राजीत नायक, डॉ.रमन सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

9. मंत्री का वक्तव्य

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने श्रीमती छन्नी चंदू साहू एवं श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य के साथ घटित घटना के संबंध में वक्तव्य दिया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य एवं श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

10. वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

श्री अनूप नाग,

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पदक्रम 6 तक का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

11. अशासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, ने छत्तीसगढ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) पुर:स्थापित किया ।

12. अशासकीय संकल्प

1. सदन का यह मत है कि "प्रदेश की विधवा व परित्यक्ता महिलाएं जिनको केन्द्र/राज्य की योजनांतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, उन्हें विधवा व परित्यक्ता पेंशन प्रदान करने पर राज्य सरकार विचार करे ।"

श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल,

श्रीमती अनिला भेंड़िया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प प्रस्तुतकर्ता सदस्य से आगे संकल्प पर विचार करने का आश्वासन दिया ।

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

2. सदन का यह मत है कि "प्रदेश में सभी स्तर की ग्रामीण सड़कों को 50 (पचास) टन भार क्षमता वहन करने योग्य बनाया जाये"

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा ने कथन किया कि पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं और उनकी अनुपस्थिति में किन्हीं दूसरे मंत्री को अधिकृत नहीं किया गया है । इसमें व्यवस्था आनी चाहिये । इस संकल्प को अगले शुक्रवार को लिया जाये ।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने कथन किया कि वे मौखिक रूप से अधिकृत करके गये हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष ने इस पर व्यवस्था दी कि आज की कार्यसूची में श्री अजय चन्द्राकर का अशासकीय संकल्प दर्ज है, लेकिन माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं है और न ही उन्होंने किन्हीं मंत्री को अधिकृत किया है । यह स्थिति उचित नहीं है । संसदीय कार्यमंत्री कृपया यह सुनिश्चित करें कि कार्यसूची में जिन मंत्रीगण का विषय शामिल हो वे सदन में उपस्थित रहें ।

इस अशासकीय संकल्प क्रमांक 2 को अगले शुक्रवार को लिया जाये ।

3. सदन का यह मत है कि " दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा से पृथक कर भाटापारा को स्वतंत्र जिला घोषित किया जावे ।"

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर,सदस्य,

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर दिया एवं माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का आग्रह किया गया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

संकल्प पर मत विभाजन हुआ ।

संकल्प के पक्ष में 12 एवं विपक्ष में 45 मत प्राप्त हुए।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

4. सदन का यह मत है कि "विगत दो वर्षों में कोरोनाकाल के कारण भर्ती परीक्षाओं में वंचित हो जाने के कारण बेरोजगारों की अधिकतम आयुसीमा में दो वर्षों की छूट दी जाय।"

श्री गुलाब कमरो, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल,

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का आग्रह किया ।

माननीय सदस्य ने संकल्प वापस लेने हेतु सहमति व्यक्त की ।

संकल्प वापस हुआ।

सायं 06.44 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2022 (फाल्गुन 23, शक संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा